संख्या– 1266 /XIII-1/2006–5(33)/2005

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2006

विषय– कृषि यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत अनुदान सीमा में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–6285/ले0–बजट/2005–06, दिनांक 25–3–2006 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0–427/XIII/2006–5(33)/2005, दिनांक 25–3–2006 के क्रम में मुझे यह **कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के क्रमांक–8 में उल्लिखित कृषि यंत्रों के नाम के सम्मुख** कतिपय कृषि यंत्रों को जोड़ने एवं क्रमांक–11 में उल्लिखित पावर टिलर में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 45,000/– तक अनुदान निम्न तालिकानुसार अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	वर्तमान व्यवस्था एवं मशीन/यंत्रों के नाम	एतद्द्वारा अनुमन्य की गई व्यवस्था एवं अनुदान की सीमा
8.	डीजल/इलेक्ट्रिक पंप में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 8000/– तक अनुदान अनुमन्य है।	(1) डीजल एवं इलेक्ट्रिक पंप के साथ अन्य वाटर लिफ्टिंग पंप भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें अनुदान की सीमा अधिकतम 50 प्रतिशत रू0 8000 तक ही अनुमन्य होगी। (2) जल पंप एस0डी0पी0ई0 पाईप–200 मीटर तक तथा वाटर लिफ्टिंग पंप के साथ उसकी विशिष्टियों के अनुसार सेक्शन पाईप पी0बी0सी0 व डिलीवरी कैनवेस पाईप पर भी मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।
11	पावर टिलर में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 30,000/– (हार्टिकल्चर मिशन के अन्तर्गत अधिकतम रू0 45,000/–) तक अनुदान अनुमन्य है।	पावर टिलर में रू0 30,000/– के स्थान पर रू0 45,000/– का अनुदान अनुमन्य होगा।

2– उक्त शासनादेश सं0–427/XIII/2006–5(33)/2005, दिनांक 25–3–2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0–297/वित्त अनुभाग–4/2006, दिनांक 27 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

GO